इश्तहार

नीलामी कमेटी, कार्यालय नजारत अनुभाग, जिला जजी, लखीमपुर–खीरी।

संख्या– 945/नीलामी कमेटी, जिला जजी, खीरी/2017–18, दिनांक: 10.08.2017

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जजी खीरी परिसर व आवास श्रीमान जिला जज लखीमपुर–खीरी में तीन अदद पेड़ (आम, नीम व गुलमोहर) व छः अदद आम के वृक्षों की टूटी शाखाओं का मूल्यांकन कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण–खीरी वन प्रभाग लखीमपुर–खीरी से प्राप्त हो चुका है, जिसकी नीलामी माननीय जिला जज महोदय के आदेशानुसार दिनांक 31.08.2017 को सभाकक्ष में सायं 4:00 बजे होना नियत है।

अतः जिस किसी को उपरोक्त तीन अदद पेड़ (आम, नीम व गुलमोहर) व छः अदद आम के वृक्षों की टूटी शाखाओं की बोली बोलना हो, तो वह दिनांक 31.08.2017 को समय 12:00 बजे से 2:00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर मु0 1,000/– रू0 काशन –मनी उपनाजिर के पास जमा करके बोली बोल सकता है। बोली समापन होने पर नीलामी की 25% धनराशि तुरन्त नकद जमा करनी होगी तथा अवशेष धनराशि नीलामी स्वीकार होने के 4 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। सम्पूर्ण धनराशि 4 दिन में जमा न होने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा अगली अधिकतम बोली को अधिकार दिया जायेगा। ट्रांजिट शुल्क आदि समस्त व्यय, जिसके पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी, उसी को वहन करना होगा।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, खीरी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी अधिकतम बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकते हैं। शेष जानकारी किसी भी कार्यकारी दिवस में 1:00 बजे से 2:00 बजे तक नजारत अनुभाग, जिला जजी, खीरी में उपस्थित आकर केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है।

10.8.17

(लालता प्रसाद–द्वितीय)
अध्यक्ष
नीलामी कमेटी
जिला जजी, लखीमपुर–खीरी।
10.08.2017